Please issue

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, dated 04.03.2022**

The Pr. Chief Medical Directors,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub: Revised MoU to be entered into with Private empanelled hospitals-Reg.
Ref: ECR's letter no. ECR/MED/Pvt. Hospital/Empanelment/22 dated 01.02.2022.

ECR's letter mentioned under reference above has been examined and it has observed that at point no. 2 of the revised MoU issued with Board's letter no. 2021/H-1/11/10/MoU dated 22.11.2021 it is already mentioned that Railway can enter into MoU with Hospitals already empanelled by other Railways for a initial period of two years and then annually, subject to other criteria are satisfied/ mutually agreed.

Further, instructions regarding PBG, to be submitted by the empanelled hospital, when the same hospital is empanelled by different Railways are already given at point no. 16 of the revised MoU issued vide Railway Board's letters no. 2021/H-1/11/10/MoU dated 22.11.2021 & corrigendum there to 09.12.2021.

Hence, necessary instructions regarding period of empanelment of Pvt. Hospitals and submission of PBG are already there in Board's letters mentioned in above paras, therefore, same may be adhered to.

This has the approval of DG(RHS).

4/3/22

(Dr. Praval Pant / डॉ. प्रवाल पंत)
Director/Health(निदेशक/ स्वास्थ्य)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)
Ministry of Railways (रेल मंत्रालय)
Tele.No.: 011-47843133

o/c

Ministry of Railways
Railway Board
जारी
issue with Enclosure

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक: 04.03.2022

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्व मध्य रेलवे,
हाजीपुर।

विषय: पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों के साथ किया जाने वाला संशोधित समझौता ज्ञापन
संदर्भ: पूर्व मध्य रेलवे का दिनांक 01.02.2022 का पत्र सं. ईसीआर/मेड/प्राइवेट हास्पिटल/एमपनेलमेंट/22

पूर्व मध्य रेलवे के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र की जांच की गई है और यह देखा गया है कि बोर्ड के दिनांक 22.11.2021 के पत्र सं. 2021/एच-1/11/10/एमओयू के साथ जारी संशोधित समझौता ज्ञापन की मद सं. 2 में यह पहले से ही उल्लेख है कि रेलवे दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए और फिर वार्षिक रूप से अन्य रेलवे द्वारा पहले से ही पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन कर सकती है बशर्ते कि अन्य मानदंड पूरे हो/पारस्परिक रूप से सहमति हो।

इसके अलावा, पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पीबीजी, जब वही अस्पताल अलग-अलग रेलों द्वारा पैनलबद्ध हो से संबंधित अनुदेश बोर्ड के दिनांक 22.11.2021 के पत्र सं. 2021/एच-1/11/10/एमओयू और 09.12.2021 के शुद्धिपत्र के तहत जारी के साथ संशोधित एमओयू के मद सं. 16 पर पहले से ही दिए गए हैं।

अतः निजी अस्पतालों के पैनलबद्ध होने की अवधि और पीबीजी प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यक अनुदेश बोर्ड के उपर्युक्त पत्रों के पैरा में पहले से ही दिए गए हैं, इसलिए इनका पालन किया जाए।

यह महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवा) द्वारा अनुमोदित है।

डॉ. प्रवाल पंत
निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
टेली.नं.: 011-47843133